<u>जनपद बाराबंकी</u>

प्रेस नोट सं0-83 **दिनांक- 28.09.2021**

थाना रामनगर पुलिस टीम द्वारा अवैध संबंध में की गई हत्या से सम्बन्धित पत्नी सहित 03 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त कार व मोबाइल बरामद-

दिनांक-30.08.2021 को थाना रामनगर पर वादी सहजराम यादव पुत्र राधेलाल निवासी पृथ्वीपुरवा मजरे अमराई गांव थाना रामनगर जनपद बाराबंकी ने सूचना दिया कि दिनांक-28.08.2021 को मेरा छोटा भाई मनोज कुमार यादव उर्फ पिन्टू उम्र लगभग-30 वर्ष बाजार गया था लेकिन वापस नहीं आया इस सूचना पर थाना रामनगर पर गुमशुदगी दर्ज का आवश्यक कार्यवाही की जा रही थी । पुनः दिनांक-19.09.2021 को वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि मेरे भाई मनोज कुमार यादव उर्फ पिन्टू को सुभाष उर्फ पिन्टू व सुनील यादव पुत्रगण जगतपाल यादव निवासीगण ग्राम भौराखुर्द सहादतगंज थाना मसौली जनपद बाराबंकी ने अपहरण कर कहीं गायब कर दिया है। इस पर थाना रामनगर पर मु0अ0सं0-339/2021 धारा 364 भादवि बनाम सुभाष उर्फ पिन्टू व सुनील यादव पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक बाराबंकी श्री यमुना प्रसाद द्वारा घटना से सम्बन्धित साक्ष्यों को एकत्रित कर अपहृत की सकुशल बरामदगी/संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने हेतु अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी डॉ0 अवधेश सिंह के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी रामनगर श्री दिनेश कुमार दूबे के पर्यवेक्षण में पुलिस टीम का गठन किया गया। गठित पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक रामनगर के नेतृत्व में थाना रामनगर पुलिस टीम द्वारा मैनुअल इंटेलीजेंस एवं डिजिटल डेटा के आधार पर आज दिनांक 28.09.2021 को अभियुक्तगण 1- सुभाष उर्फ पिन्टू 2- सुनील यादव पुत्रगण जगतपाल यादव निवासीगण ग्राम भौराखुर्द सहादतगंज थाना मसौली जनपद बाराबंकी, 3- नीलम देवी पत्नी मनोज कुमार यादव उर्फ पिन्टू निवासी ग्राम पृथ्वीपुरवा मजरे अमराईं गांव थाना रामनगर जनपद बाराबंकी को गिरफ्तार किया गया । अभियुक्तगण द्वारा घटना में प्रयुक्त मारूति जेन नं0-UP 78 AA 5143, मोबाइल व सिम बरामद किया गया। मुकदमा उपरोक्त को धारा 302/201/120बी भादवि में तरमीम किया गया ।

अभियुक्तगण से पूछताछ व साक्ष्य संकलन से प्रकाश में आया कि सुभाष उर्फ पिन्टू ट्रक ड्राइवर है तथा मनोज यादव उर्फ पिन्टू उसका रिश्तेदार है और रिश्ते में मामा लगता था । मनोज की पत्नी नीलम का अवैध संबंध सुभाष उर्फ पिन्टू से था और वह सुभाष के पास रहना चाहती थी इसलिए मनोज को रास्ते से हटाने के लिए सुभाष को कहती थी । सुभाष भी मनोज को रास्ते से हटाना चाहता था, कुछ दिन पूर्व जेठ के मंगलवार को सुभाष के यहां भण्डारा था तो मनोज भी वहां आया था । सुभाष ने मनोज को मारने के लिए अपने ट्रक खलासी तीरथ यादव से कहा लेकिन तीरथ यादव ने मना कर दिया था। सुभाष और नीलम ने मनोज को मारने के लिए सुनील (सुभाष के भाई) से बात कर योजना बनाई । दिनांक-28.08.2021 को सुनील ने मनोज को मीट

खाने के लिए बुढ़वल स्टेशन बुलाया । नीलम और सुभाष के संबंधों की जानकारी मनोज को हो गयी थी तो मनोज, सुभाष से रंजिश रखता था इसलिए सुभाष, मनोज के सामने नहीं आया । सुनील द्वारा ही मनोज को मीट खिलाया गया और शराब पिलाई गयी तथा जब मनोज नशे में हो गया तो सुभाष अपनी मारूति जेन लेकर आया और उसने भी खाना खाया। इधर मनोज ज्यादा नशे में हो जाने के कारण मोटर साइकिल नहीं चला पा रहा था । मनोज को घर छोड़ने के बहाने से मारूति जेन में पीछे लिटा दिया और सुभाष एवं सुनील ने मनोज को रात्रि में घाघरा पुल से बीच धारा में फेंक दिया ।

<u>नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-</u>

1- सुभाष उर्फ पिन्टू निवासी ग्राम भौराखुर्द सहादतगंज थाना मसौली जनपद बाराबंकी,

2- सुनील यादव पुत्रगण जगतपाल यादव निवासी ग्राम भौराखुर्द सहादतगंज थाना मसौली जनपद बाराबंकी,

3-नीलम देवी पत्नी मनोज कुमार यादव उर्फ पिन्टू निवासी ग्राम पृथ्वीपुरवा मजरे अमराईं गांव थाना रामनगर बाराबकी

<u>बरामदगी-</u>

1- घटना में प्रयुक्त मारूति जेन नं0-UP 78 AA 5143,

2- मोबाइल व सिम

<u>पुलिस टीम-</u>

1. प्रभारी निरीक्षक श्री नारद मुनि सिंह थाना रामनगर जनपद बाराबंकी
2. उ0नि0 श्री अंजेश सिंह व उ0नि0 श्री मनोज कुमार थाना रामनगर जनपद बाराबंकी
3. उ0नि0 श्री संदीप दुबे थाना रामनगर जनपद बाराबंकी
4. का0 सौरभ यादव, का0 मनु भारती, का0 विनय कुमार थाना रामनगर जनपद बाराबंकी
5. म0का0 वन्दना पाल थाना रामनगर जनपद बाराबंकी
6. रि0का0 अमन कुमार थाना रामनगर जनपद बाराबंकी